समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 99/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा डॉ0 गोकुल चन्द्र दास, पिता- स्व0 बासुदेव दास, ग्राम- चम्पानगर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर सम्प्रति तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सिंहेश्वर अस्पताल को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या 11/1991 (सिंहेश्वर थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

डॉ0 गोकुल चन्द्र दास की पत्नी श्रीमती आशा रानी दास द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पति- डॉ0 गोकुल चन्द्र दास की मृत्यु दिनांक 23-12-2009 को हो चुकी है। पति की मृत्यु पश्चात् मानसिक एवं शारीरिक परेशानियों के कारण अब तक शस्त्र जमा नहीं कर सकी है। साथ ही स्व0 डॉ0 गोकुल चन्द्र दास, पिता- स्व0 बासुदेव दास, ग्राम- चम्पानगर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर सम्प्रति तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सिंहेश्वर अस्पताल को प्रदत्त एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या 11/1991 (सिंहेश्वर थाना) पर धारित एन0पी0बोर रायफल संख्या 2506 (.22बोर) को कोशी गन हाउस, सुपौल में जमा करने की अनुमति मांगी है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् डॉ0 गोकुल चन्द्र दास को प्रदत्त एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति संख्या 11/1991 (सिंहेश्वर थाना) को रद्द किया जाता है एवं उक्त शस्त्र को मे0 कोशी गन हाउस, सुपौल में जमा करने की अनुमति दी जाती है।

श्रीमती दास को आदेश दिया जाता है कि वे अपने स्व0 पति डॉ0 गोकुल चन्द्र दास को प्रदत्त एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति संख्या 11/1991 (सिंहेश्वर थाना) का मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

मे0 कोशी गन हाउस, सुपौल को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित एन0पी0बोर रायफल संख्या- 2506 (.22बोर) को अपने प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। वगैर अनुमति के उक्त शस्त्र संबंधितों को हस्तगत नहीं करायेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी डॉ0 गोकुल चन्द्र दास के पत्नी श्रीमती दास द्वारा एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति संख्या 11/1991 (सिंहेश्वर थाना) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 42 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14-02-2014

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मे0 कोशी गन हाउस, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्रीमती आशा रानी दास, पति- स्व0 गोकुल चन्द्र दास, सा0- चम्पानगर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा